Name of the Newspaper	TIMES OF INDIA
Edition	LUCKNOW
Date	21.08.2021
Page No.	06

CAG flags Meerut babu's allotting self 30k-sq-ft bungalow

Sandeep.Rai@timesgroup.com

Meerut: A former vice-chairman of the Meerut Development Authority (MDA), Rajesh Kumar Yadav, approved for himself a plush 30,000-square foot bungalow with a swimming pool, gym, sauna, and snooker and table tennis rooms when he was in office. He was entitled to a square footage of just below 2,500. Yadav is now special secretary (sports) in the UP government.

The CAG flagged the "imprudent" plan in its audit report on the 'Economic Sector & Public Sector Undertakings, government of Uttar Pradesh' that was tabled in the assembly on Thursday.

In two orders of 2009 and 2011, the UP government had decided on the 2,426-square foot cap for residences of officials in bracket to which the vice-chairman of MDA belongs, the report said. The approval for an official's residence comes from the MDA board, where the vice-chairman comes after divisional commissioner. In 2013 and 2014, Yadav was MDA secretary and in 2015 and 2016, the vice-chairman.

ABANDONED DREAMS

Construction began in May 2015. It was a grand project — a 20,000-square foot house and a 9,700-square foot "recreation" area. The area was over 12 times what the vice-chairman was entitled to. More than Rs 8 crore was spent — the land had cost over Rs 5 crore and construction nearly Rs 3 crore — when the project was dropped in December 2016.

TOI visited the abandoned house on Friday. It was surrounded by overgrowth, its tall pillars visible from a distance. Yadav, for whom it was being built, never lived here. The MDA tried to auction off the property twice in 2019 but there were no takers.

"It was imprudent and against established norms of propriety on the part of the authority to incur expenditure of Rs 8.3 crore... for a residence for the vice-chairman," it said.

Name of the Newspaper	HINDUSTAN TIMES
Edition	Lucknow
Date	21.08.2021
Page No.	07

[CAG REPORT]

₹102.01 cr collected by UPERC remains out of public account

Brajendra K Parashar
bkparashar@hindustantimes.com

LUCKNOW : The Comptroller and Auditor General (CAG) of India has found that an amount of ₹ 102.01 crore collected by the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC) as fees and other charges from petitioners over the years remains out of the state account because of the government's failure to constitute the UPERC Fund.

"'Due to non-constitution of rules for creation of the State Electricity Regulatory Commission Fund by the state government, the fee collected by the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission are being kept in a nationalised bank account of UPERC out of Public Account," the Comptroller and Auditor General observes in a recent report tabled in both Houses of the state legislature.

"As such, as on March 2019, an amount of ₹102.01 crore was kept outside the Public Account of the state in violation of Article 266 (2) of the Constitution," the Comptroller and Auditor General observes in the report.

The report has pointed out that Article 266 (1) of the Constitution of India, inter alia (among other things), stipulates that all revenue receipts and all loans raised by the state government shall form part of the Consolidated Fund of the state. Further, Article 266 (2) stipulates that other public moneys received by or on behalf of the government of a state shall be credited to the Public Account of the state.

The CAG, during the audit noticed that the UP government did not make any rules for constitution of the State Electricity Commission Fund in spite of the same powers being conferred on the state government under the law.

The Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC), however, made the "Uttar Pradesh Regulatory Commission (Fees and Fines) Regulations, 2010 under the powers conferred under section 181 of the Act under which fees received by the Commission "shall" be deposited in a bank account to be maintained by the Commission.

The receipts of the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission, it pointed out, needed to be aligned with the provisions of the Constitution and Electricity Act, 2003 on the lines of the Central Electricity Regulatory Commission which was not done.

"In reply (June 2020), the government accepted the contention of the audit and directed the Energy Department to frame and transfer the amount of ₹102.01 crore to the Public Account of the state," says the report.

Name of the Newspaper	NAVBHARAT TIMES
Edition	Lucknow
Date	20.08.2021
Page No.	02

बिल्डर-ठेकेदारों पर अफसर मेहरबान, एलडीए को पहुंचाया ₹174 करोड़ का नुकसान

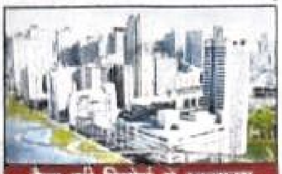

कैग की रिपोर्ट में खुलासा

हाईटेक टाउनशिप का लाइसेंस लेने वाले बिल्डरों को गलत तरीके से पहुंचाया गया फायदा

■ **एनबीटी सं, लखनऊ:** हाइटिक टाउनशिप का लाइसेंस लेकर सैकड़ो एकड़ मे कॉलोनी बसा रहे बिल्डर और ग्रुप हाउसिंग बना रहे ठेकेदारों पर एलडीए अफसर किस कदर मेहरबान थे, इसका खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है।

इसके मुताबिक हाईटेक टाउनशिप विकसित कर रहे बिल्डरों से सिटी डिवेलपमेंट फीस के तौर पर 170.99 करोड़ रुपये जमा ही नहीं करवाए गए। वहीं, सृष्टि और स्मृति अपार्टमेंट के काम मे ऐसी शर्तें तय की गईं, जिनका फायदा उठाकर ठेकेदार अपने ऊपर लगे जुर्माने से बच गया। इससे महकमे को 2.40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वहीं, जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कुछ कामों के लिए मानक से अतिरिक्त भुगतान किया गया, जिससे ठेकेदार को 1.41 करोड़ रुपये का अनुचित फायदा हुआ।

न लैंड यूज चार्ज जमा करवाया, न ही देरी पर ब्याज वसूली की

रिपोर्ट के मुताबिक 2003 मे हाइटिक टाउनशिप नीति के तहत लाइसेंस जारी हुए थे। इसके बाद नीति मे तीन बार (2005, 2006, 2007) मे बदलाव किया गया और शासनादेश जारी कर डिवेलपर से लैंड यूज चार्ज जमा करवाने और देरी पर 12 फीसदी की दर से ब्याज वसूले जाने का फैसला हुआ। इसके बाद डिवेलपर की तरफ सैकड़ों हेक्टेयर जमीन का भू उपयोग बदलने के लिए आवेदन किया गया। इसका लैंड यूज कनवर्जन चार्ज करीब सैकड़ों करोड़ रुपये था लेकिन बिल्डरों ने यह रकम नहीं जमा की। यही नहीं सिटी डिवेलपमेंट फीस से छूट देने के साथ ही अफसरों ने बिल्डर से अतिरिक्त ऊंचाई तक हुए निर्माण का अतिरिक्त शुल्क भी जमा नहीं करवाया।

'कुंभ मेले के लिए स्थायी निर्माण की योजना नहीं बना सकी सरकार'

■ **एनबीटी ब्यूरो, प्रयागराज:** कुंभ के आयोजन को लेकर तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैग के ऑडिट मे कई तरह की अनियमितताएं और खामियां उजागर हुई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ मेले के लिए 2,425 करोड़ रुपये खर्च हुए है, जिसमे केंद्र सरकार ने 1281 करोड़ और शेष धनराशि राज्य सरकार ने व्यय की थी। प्रयागराज मे माघ मेले व कुंभ-महाकुंभ के आयोजन के लिए सरकार स्थायी निर्माण का प्लान बनाने मे पूरी तरह से विफल रही और स्थायी निर्माण कार्यों को लेकर कोई मानक भी तय नहीं किए जा सके। विभागों द्वारा आवंटन और व्यय की सूचना कुंभ मेला अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे कई आवंटित धनराशि और व्यय की सही स्थिति का नहीं पता लग सका। कुंभ मेले में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार ने बचाव उपकरणों की खरीद की। पीडब्ल्यूडी ने बगैर वित्तीय स्वीकृति सड़कों की मरम्मत और सड़कों के किनारे पेड़ों पर चित्रकारी की। 7.83 करोड़ के ड्रोन, टायर किलरो और बैगेज स्कैनर जैसे जांच यन्त्रों को या तो प्राप्त नहीं किया या फिर उनका उपयोग नहीं किया गया। ठेकेदारों को अनियमित ठेके दिए गए।

वन भूमि का कंपनियों को पट्टा किया, प्रीमियम और किराया नहीं लिया

■ **एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :** वन विभाग ने अपनी जमीन का 25 से 30 वर्षों के लिए पट्टा कंपनियों के नाम किया लेकिन उसका किराया व प्रीमियम नहीं वसूला। ऐसा करके अफसरों ने कंपनियों 22.53 करोड़ रुपये की चपत लगाई। यह खुलासा कैग की रिपोर्ट से हुआ है।

विभाग को अफसरों ने ₹22.53 करोड़ की लगवाई चपत

अगस्त 2000 मे 20.969 हेक्टेअर भूमि का पट्टा किया गया। 2019 मे वनाधिकारियों ने पट्टा विलेख नहीं किया व बाजार की दर पर प्रीमियम और प्रीमियम का 10% पट्टा किराया वसूल नहीं किया। भूमि के पट्टाधारकों के कब्जे मे होने के अभिलेखों मे इसके कारण भी नहीं पाए गए। इस तरह प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा गैरवानिकी उपयोग मे कब्जा प्रदान करने के सरकारी आदेशों का अनुपालन नहीं करा पाए। इससे 22.53 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

मिट्टी के निस्तारण मे 3.14 करोड़ अतिरिक्त खर्च: डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल मे बची मिट्टी के निस्तारण का काम राजकीय निर्माण निगम को दिया गया था। कंपनी उसकी बिक्री के लिए अपने ही आदेश का पालन नहीं कर सकी। इससे 3.14 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आया।

Name of the Newspaper	HINDUSTAN TIMES
Edition	Lucknow
Date	20.08.2021
Page No.	06

[CAG'S OBSERVATION]

'UP diverted Rs 65.87 crore from SDRF to get equipment for Kumbh'

Rajesh Kumar Singh
Rajesh.Singh@htlive.com

LUCKNOW: The UP government diverted Rs 65.87 crore from the State Disaster Response Fund (SDRF) for procurement of rescue equipment for Kumbh Mela-2019 in violation of central government guidelines, the Comptroller and Auditor General (CAG) of India claimed in a report.

The report on general and social sector for the year ending March 31, 2019 was tabled by parliamentary affairs minister Suresh Khanna in the UP legislative assembly on Thursday.

According to central government guidelines, the SDRF fund is utilised for providing immediate relief to victims of notified disasters. Rather than diverting funds for procurement of equipment for Kumbh mela, the state government should have made provision from its budget, observed the CAG.

The report stated that the state government had mentioned that the Kumbh Mela-2019 organised from January 15 to March 4, 2019 in Prayagraj was very successful and over 240 million people visited the Mela. Yet, the expenditure incurred was over and above the government sanctions. As a result, payments to contractors were still pending, it added.

There were instances of execution of work at higher prices/cost and non- adherence to the orders of government. Management of solid waste was not adequately addressed.

The CAG noticed that the Public Works Department executed six works, costing Rs 1.69 crore, related to road repairs and painting of roadside trees without financial sanctions. Besides, the information and public relations department allotted works to the tune of Rs 29.33 crore against the allocation of Rs 14.67 crore for promotion of Kumbh Mela through electronic and print media. The Kumbh Mela Authority failed to effectively monitor the issue and return of tentage items from various institutions due to which the vendor claimed payment for compensation of Rs 21.75 crore on account of missing tin, tent and furniture, stated the report.

The urban development department did not adhere to the prescribed timelines due to which 58 permanent and 11 temporary works were not completed by the start of the Kumbh Mela. Due to inefficient procurement process by the home department, fire vehicles, baggage scanners, digital radio HF sets and drone cameras worth Rs 7.83 crore procured for the Mela were either not received or utilised during Kumbh.

The CAG further noticed that there was over estimation of Rs 3.11 crore in estimates for road works, excess expenditure of Rs 95.75 lakh on construction of nine roads, short deposit of performance security of Rs 6.33 crore by contractors, avoidable expenditure of Rs 3.24 crore on barricading works and Rs 8.75 crore on fiber reinforce plastic toilet works and excess payment of Rs 1.27 crore was made to contractors. Audit scrutiny revealed that three works were awarded to bidders who were not qualified for the bid on the basis of their bid capacity.

The management of municipal solid waste (MSW) was not addressed effectively. Due to the inoperative MSW processing plant, there was a massive scrap-heap of MSW at Banswar plant site before Kumbh Mela that piled up further during the Mela. Quality assurance in the construction work was unsatisfactory because most of the tests prescribed for quality check were not carried out, the CAG observed.

CAG'S RECOMMENDATIONS

- The Kumbh Mela is organized at fixed intervals, the state government may frame norms and standards for quantity and quality of infrastructure and services required for visiting pilgrims.
- Standard operating procedure for procurement of goods and materials.
- Expenditure and budegtary controls should be tightened in accordance with rules and laws.
- Process of selection of contractors/suppliers should be transparent, fair, competitive and in sync with the provisions of financial rules.
- Waste management, infrastructure and facilities should be augmented at appropriate scale to provide safe, hygienic and healthy environment for visitors during the Mela.

JPNIC: LDA PAID CONTRACTOR AT HIGHER RATE, SAYS CAG

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW: The Comptroller and Auditor General (CAG) of India, in his audit report, has claimed that Lucknow Development Authority (LDA) made payment to the contractor at a rate higher than the applicable Delhi Schedule of Rates for pile work in the construction of Jai Prakash Narain International Centre building, resulting in undue benefit of Rs 1.41 crore to the contractor.

The CAG also observed in a separate case that in the two contracts awarded by the LDA for the construction of multi storey apartments- Sristi Apartments and Smriti Apartments in sector-J, Jankipuram to the contractor at contract price of Rs 82.84 crore and Rs 92.23 crore respectively on turnkey basis, the LDA failed to incorporate the standard clause of deduction of security deposits at the rate 10%.

Subsequently, the LDA made deduction of security deposit from running bills at the rate of 10%. The matter went into arbitration.

The arbitrator directed the authority to refund the deducted amount of additional security deposit along with interest rate of 10% per annum. The authority had to refund the amount along with interest of Rs 2.40 crore, the CAG observed.

5

Name of the Newspaper	DAINIK HINDUSTAN
Edition	LUCKNOW
Date	20.08.2021
Page No.	09

सीएजी रिपोर्ट में जताई गई है चिंता, राज्य की आर्थिक सेहत को खराब कर रही कंपनियां

Para 1.9 to 1.16

लगातार बढ़ रहा बिजली कंपनियों का घाटा

सीएजी रिपोर्ट

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन सहित राज्य की सभी 11 बिजली कंपनियां (पीएसयूज) राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में अहम भूमिका निभाने के बाद भी ये कंपनियां भारी नुकसान में हैं। राज्य सरकार द्वारा बिजली कंपनियों में निवेश की गई भारी धनराशि के सापेक्ष लाभ कमाना तो दूर सरकार के धन की लागत भी नहीं निकाल पा रही हैं। 31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र की 11 कंपनियों की कुल हानियां 162180.07 करोड़ रुपये पहुंच गया था।

सीएजी ने लिखा है

- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. के पारेषण लाइन के निर्माण का नियोजन ठीक नही था। जिससे निर्माण लागत तथा उधार पर लिए गए धन पर ब्याज 2.08 करोड़ की हानि के साथ ही खरीदी गई सामग्री पर 4.21 करोड़ रुपये अवरुद्ध हुए।
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा ठेकेदारों से ब्याजमुक्त मोबाइलेजेशन की अग्रिम वसूली नहीं की गई। जिससे 99.29 लाख रुपये की हानि हुई।
- राज्य की जीएसडीपी में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की भागीदारी वर्ष 2015-16 में 4.13 फीसदी थी 2018-19 में यह भागीदारी घटकर 4.01 फीसदी पर आ गई।
- उदय के तहत ट्रांसफार्मर पर मीटरिंग, फीडर पृथक्कीकरण, असंयोजित परिवार को विद्युत, स्मार्ट मीटरिंग आदि में बिजली कंपनियों का काम ठीक नहीं रहा।

लागत भी नहीं निकाल पा रही हैं कंपनियां: बिजली कंपनियों के लेखा मिलान के बाद सीएजी ने विस्तृत रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। राज्य सरकार द्वारा 11 बिजली कंपनियों में निवेश किए गए धनराशि का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को 353573.44 करोड़ रुपये है। वर्ष 2000-01 से 2018-19 के बीच की अवधि के दौरान इन सभी बिजली कंपनियों की कुल कमाई ऋणात्मक रही है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के निवेश पर राजस्व बढ़ाना तो दूर ये कंपनियां सरकार के धन की लागत को भी नहीं वसूल करपाई। वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार के निवेश पर 21579.60 करोड़ लाभ अपेक्षित था जबकि इन कंपनियों ने 14398.96 करोड़ का नुकसान उठाया।

महज दो कंपनियां ही लाभ में थी: 31 मार्च 2019 को नौ बिजली कंपनियों की कुल हानियां 163356.12 करोड़ थी। दो कंपनियां लाभ में थीं जिन्होंने 1176.05 करोड़ का लाभ कमाया। जिससे बिजली कंपनियों की कुल हानियां 162180.07 करोड़ रुपये हो गया था। 11 में से छह कंपनियों का निवल (नेट) मूल्य हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया था। 2019 में इन छह कंपनियों में निवेशित पूंजी 72338.46 करोड़ के सापेक्ष इनकी पूंजी 74102.48 घाटे में थीं।

कुंभ पर खर्च किया राहत कार्यों का पैसा

66 करोड़ रुपये के करीब दिया गया था राहत कार्यों पर व्यय के लिए

प्रमुख संवाददाता। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने राहत कार्य का पैसा कुंभ मेले पर खर्च किए जाने पर आपत्ति जताई है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुंभ मेले के लिए उपकरणों को खरीदने के लिए राज्य आपदा राहत कोष से धन का आवंटन इसके दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था, क्योंकि इसका उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं के लिए किया जाना था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसे जांच के लिए जरूरी ब्योरा नहीं उपलब्ध कराया गया। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आपदा राहत कोष से 65.87 करोड़ रुपये गृह विभाग को दिया गया। इसका उपयोग राहत कार्यों में ही किया जाना था इसलिए व्यावर्तित करने के बजाय बजट प्रावधान से करना चाहिए था।

बिल्डरों को 170 करोड़ का फायदा पहुंचाया

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हाइटेक टाउनशिप योजना में बिल्डरों को मनमाने तरीके से लाभ पहुंचाया। स्थिति यह रही कि अधिक ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए मनमाने तरीके से फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में छूट दी गई और इसके लिए शुल्क में छूट दे दी गई। इससे 170.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

जांच में पता चला कि बिल्डर को 1765 एकड़ भूमि के अनुमोदित लेआउट पर 34.92 करोड़ विकास शुल्क में छूट दे दी गई। उस समय 24 मामलों में 216.38 एकड़ में बिना 170.99 करोड़ के शुल्क लगाए बिना अधिक एफएआर की अनुमति दे दी गई। इसके चलते 170.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

1765 एकड़ भूमि का लेआउट अनुमोदित किया

35 करोड़ के करीब विकास शुल्क में छूट दे दी गई

ठेकेदारों को दिया गया अनुचित लाभ

सीएजी ने जांच के दौरान यह भी पाया कि एलडीए ने जानकीपुरम सेक्टर जे स्थिति सृष्टि और स्मृति अपार्टमेंट में ठेकेदार को अनुचित तरीके से 11.68 करोड़ रुपये जमा नहीं कराया। इससे एलडीए को 2.40 करोड़ रुपये का अर्थदंड देना पड़ा। इसी तरह जेपी केंद्र के निर्माण में पाइप कार्यों का अधिक दरों पर काम देने से 1.41 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ ठेकेदार को दिया गया।

जीडीए में बिल्डर को मनमाना लाभ दिया

राज्य मुख्यालय। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मनमाने तरीके से बिल्डर को 2.51 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने का खुलासा हुआ है।

भूमि प्रीमियम का 25.14 करोड़ वसूल करने के बाद फरवरी 2013 से जून 2015 अवधि के दौरान बिल्डर को जमीन सौंपी गई। जांच में पता चला कि बिल्डर से वसूल किए गए अधिग्रहण शुल्क में प्रशासनिक शुल्क नहीं जोड़ा गया।

Name of the Newspaper	AMAR UJALA
Edition	Lucknow
Date	20.08.2021
Page No.	02

(6)

निवेश के साथ साल दर साल बढ़ता गया घाटा

बिजली कंपनियों के कामकाज पर कैग ने उठाए सवाल

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) ने प्रदेश में सरकार के नियंत्रण वाली बिजली कंपनियों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। बिजली कंपनियों के साल दर साल बढ़ रहे घाटे और निवेश के मुकाबले कमाई में कमी की ओर इशारा करते हुए कैग ने कहा है कि यह उनकी संभावित वित्तीय रुग्णता का संकेतक है। साथ ही कहा कि बिजली कंपनियों में लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया है।

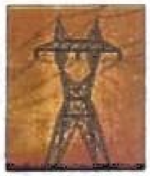

विधानमंडल में बृहस्पतिवार को 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रखी गई कैग रिपोर्ट में बिजली कंपनियों की बदहाली का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में 31 मार्च 2019 तक कुल निवेश 1,97,352.73 करोड़ रुपये था। निवेश में पूंजी 59.75 प्रतिशत तथा दीर्घकालीन ऋण 40.25 प्रतिशत था। 2018-19 में बिजली कंपनियों को 14,398.96 करोड़ रुपये की हानि हुई। रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में निवेशित धनराशि का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को 3,53,573.44 करोड़ आगणित होता है। 2000-2001 एवं 2018-19 के बीच की अवधि में इन उपक्रमों की कुल आय ऋणात्मक रही जो यह दर्शाता है कि निवेशित धनराशि से राजस्व जुटाने के स्थान पर ये उपक्रम सरकार के धन की लागत भी वसूल नहीं कर पाए। 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर बिजली कंपनियों को कम से कम 21,579.60 करोड़ रुपये की कमाई करनी थी, लेकिन 14,398.96 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा।

कैग रिपोर्ट के अनुसार उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत सुधार के लिए तय किए गए लक्ष्यों को बिजली कंपनियां हासिल नहीं कर सकीं। उदय के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार ने 9,783.44 करोड़ रुपये की पूंजी, 19,566.88 करोड़ अनुदान और 9,783.44 करोड़ ऋण उपलब्ध कराते हुए 2015-16 और 2016-17 के दौरान 39,133.76 करोड़ रुपये के कुल ऋण का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने 2017-18 में 669 करोड़ (2016-17 की हानि का पांच प्रतिशत) तथा 2018-19 में 1417 करोड़ (2017-18 की हानि का 10 प्रतिशत) की सब्सिडी भी दी। रिपोर्ट के अनुसार वितरण ट्रांसफॉर्मर पर मीटरिंग, फीडर अलग करने, नए कनेक्शन देने, स्मार्ट मीटरिंग तथा आपूर्ति की औसत लागत व औसत राजस्व वसूली में बिजली कंपनियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। बिजली कंपनियों की तकनीकी एवं वाणिज्यिक लाइन हानियां 2019-20 तक 14.86 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य था जो 30.30 प्रतिशत थीं। बिजली कंपनियां लाइन हानियों में कमी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं कर सकीं।

लाइन हानि में कमी का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकीं कंपनियां

ट्रांसमिशन लाइन पर निष्फल व्यय : कैग ने यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन द्वारा गाजीपुर में एक ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण की सही प्लानिंग न होने पर भी सवाल उठाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी वजह से निर्माण की लागत एवं ऋण पर ब्याज के रूप में 2.08 करोड़ की हानि हुई और इसके लिए खरीदी गई सामग्री की वजह से 4.21 करोड़ की धनराशि फंस गई। सीएजी ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में ठेकेदार से ब्याजमुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम की वसूली समयबद्ध तरीके से न किए जाने की वजह से हुई 99.27 करोड़ रुपये के नुकसान पर भी सवाल खड़ा किया है।

सिंचाई विभाग ने ठेकेदार को पहुंचाया 96.98 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ

लखनऊ। सिंचाई व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार को 96.98 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया है। ठेकेदार ने बिना अनुमति खनन कर उपखनिजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि उनसे कोई वसूली नहीं की गई।

विधानसभा में पेश की कैग रिपोर्ट के अनुसार, जांच में पता चला कि कनहर नदी में निर्माण के लिए सिंचाई विभाग मिर्जापुर के अधिकारियों ने ठेकेदार को अनुमति दी थी। ठेकेदारों को सुंदरी गांव में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग कार्य की अनुमति दी गई। लेकिन उन्होंने नदी में उपलब्ध कोर्स सैंड, स्पिलवे फाउंडेशन के साथ ही सुंदरी खदान में पत्थर का उपयोग बिना अनुमति लिए किया। विभाग ने इसकी वसूली न करके ठेकेदार को 96.98 करोड़ का अनुचित लाभ दिया। इसी तरह झांसी की मऊरानी तहसील में 1073639 घनमीटर उत्खनित चट्टानों को बिना दर निर्धारण व अपारदर्शी प्रक्रिया से 90054 घन मीटर चट्टानों को अनुपयोगी घोषित किया। इससे 28.44 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। ब्यूरो

Name of the Newspaper	Dainik JAGRAN
Edition	LUCKNOW
Date	20.8.2021
Page No.	11

7

बढ़ते घाटे से खोखले हो रहे ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू

मार्च 2019 में 11 उपक्रमों की कुल संचित हानियां थीं 1,62,180.07 करोड़ छह पीएसयू का नेट वर्थ समाप्त

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) का घाटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू को वर्ष 2016-17 में 11,143.21 करोड़ रुपये, 2017-18 में 13,460.89 करोड़ रुपये और 2018-19 में 14,398.96 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इनमें से दो पीएसयू ने 126.39 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जबकि नौ उपक्रमों ने 14,525.35 करोड़ रुपये की हानि उठाई। इसमें अकेले उप्र पावर कारपोरेशन का घाटा 8,118.8 करोड़ रुपये था।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के उपक्रमों पर विधानमंडल के समक्ष गुरुवार को पेश की गई भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू की यह बदहाली उजागर हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऊर्जा क्षेत्र के 11 सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) की 31 मार्च 2019 को कुल संचित हानियां 1,62,180.07 करोड़ रुपये थीं। इनमें से नौ पीएसयू ने वर्ष 2018-19 में हानियां उठाईं। इनकी संचित हानियां 1,63,356.12 करोड़ रुपये थीं जबकि दो पीएसयू का संचित लाभ 1,176.05 करोड़ रुपये था। 11 में से छह पीएसयू का नेट वर्थ संचित हानियों के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 31 मार्च 2019 तक इन पीएसयू में पूंजी निवेश के

कैग रिपोर्ट

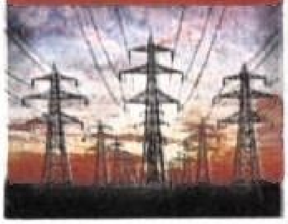

72,338.46 करोड़ रुपये के सापेक्ष नेट वर्थ -74102.48 करोड़ रुपये थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत उप्र सरकार ने 2015-16 व 2016-17 में 39,133.76 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराते हुए डिस्काम्स के कुल ऋण का अधिग्रहण किया। इसके अलावा राज्य सरकार ने 2017-18 में 669 करोड़ रुपये और 2018-19 में 1,417 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। इसके बावजूद उदय योजना के लक्ष्यों की प्राप्तियों के आधार पर डिस्काम्स का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। इतना ही नहीं, राज्य के डिस्काम्स की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि 2019-20 तक 14.86 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 30.3 प्रतिशत थी। डिस्काम्स एटी एंड सी हानि में कमी के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने से कोसों दूर रहे।

उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण लाइन के निर्माण का नियोजन ठीक न होने के

बाइक व मोपेड के नाम पर थे ट्रैक्टरों के पंजीकरण

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : कुंभ मेला-2019 को 'दिव्य-भव्य' बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। हर कार्य विश्वस्तरीय करने का खाका तैयार किया गया, जिसका फायदा उठाकर अधिकारियों ने खूब मनमानी की। बैरीकेडिंग से लेकर भूमि समतलीकरण तक में चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम विरुद्ध काम कराए गए। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। स्थिति यह रही कि बाइक, कार व मोपेड के नंबर पर ट्रैक्टर पंजीकृत किए गए थे।

प्रधान महालेखाकार के अनुसार कुंभ मेलाधिकारी ने मेला क्षेत्र में भूमि समतलीकरण अक्टूबर-नवंबर 2018 में तीन ठेकेदारों मेसर्स नारायण एसोसिएट्स, स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन और मेसर्स मां भवानी कंस्ट्रक्शन से कराया था। सेक्टर पर्यवेक्षकों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रमाणित सत्यापन रिपोर्ट में समतलीकरण कार्य के लिए लगाए गए ट्रैक्टरों की पंजीकरण संख्या का महत्वपूर्ण विवरण नहीं था।

बेहतर योजना के अभाव में कुंभ में करोड़ों का अपव्यय

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : तीर्थराज प्रयाग में 2019 में हुए कुंभ मेले को भले ही पूरी दुनिया में सराहना मिली, लेकिन नियंत्रक महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट ने कई कार्यों पर सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुंभ मेले के लिए बेहतर कार्ययोजना नहीं थी। इसके कारण करोड़ों रुपये का अपव्यय हुआ। कई कामों की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। कई काम बिना वित्तीय स्वीकृति के मनमाने ढंग से कराए गए। एक ही काम का अलग-अलग रेट से भुगतान किया गया। शौचालय, बैरीकेडिंग, सड़क, पौधारोपण व पेंटिंग, पुलिस को दिए गए उपकरणों में मानक से अधिक धन खर्च किया गया। कूड़ा निस्तारण के लिए जो प्लांट बनाया गया था, वह अधूरा था। भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की आडिट रिपोर्ट-2021 में किए गए इस राजफाश की जानकारी गुरुवार को प्रधान महालेखाकार बीके मोहंती ने पत्रकारों को दी। प्रधान महालेखाकार ने बताया कि वर्ष 2019 में 15 जनवरी से चार मार्च तक प्रयागराज में चले कुंभ मेले को लेकर उचित योजना नहीं बनी थी। नगर विकास विभाग ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण को 2744 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। इसमें करीब 14 विभागों ने काम किया था। हर विभाग के लिए अलग से बजट जारी हुआ था, लेकिन प्राधिकरण उसका ब्योरा नहीं दे पाया।

10 साल में बनी सिर्फ 132 किमी सड़क

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : केंद्र व प्रदेश सरकार सड़कों का जाल बिछाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। अनेक क्षेत्रों में काफी काम हुआ है, लेकिन इंडो-नेपाल सीमा पर बन रही सड़क का काम कछुआ गति से चल रहा है। प्रधान महालेखाकार बीके मोहंती ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट के आधार पर पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में इंडो-नेपाल सीमा पर नवंबर 2010 में सड़क निर्माण अनुमोदित किया था। पीडब्ल्यूडी प्रदेश में उसका निर्माण कर रहा है। इसके तहत 640 किलोमीटर सड़क बननी है, लेकिन अभी तक यानी 10 साल में मात्र 132 किलोमीटर सड़क बनी है। दिसंबर 2019 तक 27 प्रतिशत जमीन अधिगृहीत करने का काम नहीं हो पाया। जिन मार्गों पर सड़क बननी है, वहां खंभा हटाने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। सड़कों की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। इससे बजट चौगुना बढ़ गया है।

कारण निर्माण लागत और उधार ली गई रकम पर ब्याज पर 2.08 करोड़ रुपये की हानि के अलावा खरीदी गई सामग्री पर 4.21 करोड़ रुपये की धनराशि फंस गई। ठेकेदार से ब्याजमुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस की वसूली समयबद्ध तरीके से न करने के कारण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को 99.27 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

Name of the Newspaper	AMAR UJALA
Edition	LUCKNOW
Date	20.8.2021
Page No.	02

प्राधिकरणों ने नियम ताक पर रखकर बिल्डरों व ठेकेदारों को पहुंचाया लाभ

कैग ने लखनऊ, मेरठ व गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों पर उठाए सवाल

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ विकास प्राधिकरणों ने हाईटेक सिटी के नाम पर विकासकर्ताओं (बिल्डरों) और ठेकेदारों को नियमों को ताक पर रखकर लाभ पहुंचाया। इससे प्राधिकरणों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इसका खुलासा बृहस्पतिवार को सदन में रखी गई वर्ष 2018-19 की कैग रिपोर्ट में हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक हाईटेक टाउनशिप नीति-2003 के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. को 1765 एकड़ भूमि के अनुमोदित ले-आउट पर 34.92 करोड़ के नगरीय विकास शुल्क (सीडीसी) का भुगतान करने की छूट दी। इसका आधार यह बताया कि 2007 में सीडीसी की दर लागू नहीं होती, क्योंकि बिल्डर और एलडीए के साथ एमओयू 2005 में किया गया था। उसी समय 216 एकड़ के ले-आउट पर 170 करोड़ रुपये पर शुल्क लिए बिना ही उच्चतर एफएआर को मंजूरी दे गई। इस तरह एलडीए को 170 करोड़ का नुकसान पहुंचा।

एलडीए ने जानकीपुरम के सेक्टर जे योजना में सृष्टि और स्मृति अपार्टमेंट के निर्माण के लिए ठेकेदार से 82.84 करोड़ और 92.23 करोड़ के दो अनुबंध किए थे। इसमें ठेकेदार से 10 प्रतिशत के स्थान पर मात्र दो प्रतिशत ही जमानत राशि जमा करने की शर्त रखी। एलडीए के मानक के मुताबिक 10 के बजाय सिर्फ दो प्रतिशत जमानत राशि पर ही ब्याज मिला। यानी शेष 8 प्रतिशत जमानत राशि पर मिलने वाले करीब 2.40 करोड़ ब्याज का नुकसान उठाना पड़ा। इसी प्रकार जेपीएनआईसी के निर्माण में भी पाइल के निर्माण में ठेकेदार को 1.41 करोड़ रुपये अनुचित लाभ देने की बात कही गई। वहीं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्डर को 2.51 करोड़ का लाभ दिया गया। अधिकारियों ने अग्रवाल एसोसिएट प्रमोटर्स लि. से वसूली नहीं की।

एमडीए वीसी के बंगले पर 2.94 करोड़ खर्च

रिपोर्ट में मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) के वीसी के आवास निर्माण पर 2.94 करोड़ रुपये खर्च करने को निरर्थक बताया गया। कहा गया कि वीसी टाइप-5 श्रेणी (2426 वर्ग फीट) का आवास पाने के पात्र हैं, लेकिन उन्होंने

बोर्ड बैठक में अपने लिए 21,528 वर्ग फीट क्षेत्रफल में आवास बनाने का प्रस्ताव पारित कराया। दूसरी बोर्ड बैठक में शताब्दी नगर आवासीय योजना में 50,208 वर्ग फीट में आवास बनाने का प्रस्ताव पारित करा लिया। इसकी कीमत 5.36 करोड़ थी। प्रस्तावित आवास में मनोरंजन क्षेत्र में स्वीमिंग पुल, जिम, हेल्थ क्लब, स्टीम, सौना, स्नूकर व टेबल टेनिस जैसी सुविधाएं थीं। जबकि 20 हजार वर्ग फीट में एक तीन मंजिला आवास बनाने का आगणन तैयार किया गया था। बोर्ड की अगली बैठक में इतने महंगे आवास पर आपत्ति जताते हुए आवास निर्माण को रोक दिया गया। तब तक इस पर 2.94 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे। इस प्रकार प्राधिकरण कोष से खर्च यह धनराशि बेकार हो गई।

राजकीय पॉलीटेक्निक उतरौला के लिए जमीन चयन में लापरवाही

लखनऊ। कैग ने राजकीय पॉलीटेक्निक उतरौला बलरामपुर के निर्माण के लिए राप्ती नदी के बाढ़-जलभराव क्षेत्र में आने वाली जमीन के चयन पर सवालिया निशान लगाया है। बृहस्पतिवार को विधानसभा पेश की कैग की रिपोर्ट के अनुसार अनुपयुक्त भूमि का चयन करने के चलते पॉलीटेक्निक संस्थान के निर्माण में दिक्कतें आईं। वर्ष 2009 से 2019 तक 10 वर्ष का समय बीतने के बावजूद उसके निर्माण पर खर्च किए गए 16.44 करोड़ का कोई फायदा नहीं हुआ। ब्यूरो

पीएसयूज ने उठाई 14 हजार करोड़ से ज्यादा की हानि

लखनऊ। विधानमंडल में बृहस्पतिवार को रखी गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) ने 14 हजार 441 करोड़ की हानि उठाई। 32 अकार्यरत पीएसयूज को बंद करने के संबंध में सरकार उचित निर्णय ले सकती है। 31 मार्च, 2019 तक यूपी में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के क्षेत्राधिकार में 114 पीएसयूज थे।

31 दिसंबर, 2019 तक के नवीनतम लेखाओं के आधार पर इनमें से 35 पीएसयूज के वित्तीय जांच में शामिल किया गया। इन्होंने 31 दिसंबर तक 71.473 करोड़ का टर्न ओवर दर्ज किया। जबकि 14 हजार 441.44 करोड़ की हानि उठाई। रिपोर्ट में यह भी आया कि 31 मार्च, 2019 को 46 राज्य पीएसयूज अकार्यरत थे। इनमें ऊर्जा के दो पीएसयूज का परिसमापन हो गया था। अन्य 12 परिसमापन के अधीन थे। कैग ने कहा है कि बाकी 32 पीसएयूज को बंद करने के संबंध में सरकार निर्णय ले सकती है। ब्यूरो